



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3809

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 46125 वर्ष 2025

मधुबन आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : चन्द्र शेखर कुशवाहा, सौरभ सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री चन्द्र शेखर कुशवाहा, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से तथा श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 189 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 109, 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना अहरौरा, जिला मिर्जापुर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त बृजेश कुमार पाण्डेय को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 38910 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 10.9.2025 से जेल में बंद है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूँकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 में पारित निर्णय, इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 में पारित निर्णय को भी दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
7. उक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक मधुबन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
9. आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास का प्रमाण-पत्र मुचलके स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा